

प्रारंभिक परीक्षा


एक कीड़े पर जिज्ञासा से प्रेरित शोध ने कैसे जीते 4 नोबेल

संदर्भ

2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार माइक्रोआरएनए(miRNAs) की खोज और जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया। यह शोध राउंडवॉर्म कैनोहैब्डाइटिस एलिगेंस (CAENORHABDITIS ELEGANS) का उपयोग करके किया गया था।

कैनोहैब्डाइटिस एलिगेंस(CAENORHABDITIS ELEGANS/C. Elegans)
के बारे में -

- यह 1 मिमी लंबा, पारदर्शी निमेटोड(transparent nematode) है जिसका उपयोग आमतौर पर वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है।
- यह मिट्टी में पनपता है और सूक्ष्मजीवों पर निर्भर रहता है, जिससे इसे प्रयोगशालाओं में आसानी से परिवर्धित जा सकता है।
- वयस्क कृमि में 959 कोशिकाएं और 302 न्यूरोन्स होते हैं, जो विकास और तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन के लिए एक सरल मॉडल प्रदान करते हैं।
- इसकी सरल शारीरिक रचना और छोटे जीवनकाल के कारण इसका उपयोग आनुवंशिक और विकासात्मक जीव विज्ञान में व्यापक रूप से किया जाता है।
- यह पहला बहुकोशिकीय जीव था जिसका पूर्ण जीनोम अनुक्रमित किया गया था तथा तंत्रिका तंत्र का मानचित्रण किया गया था।



शोधकर्ताओं के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- सरल शारीरिक रचना: सी. एलिगेंस में श्वसन और परिसंचरण दोनों प्रणालियाँ नहीं होतीं
- बड़े पैमाने पर उत्पादन: इसे कम समय में बड़ी संख्या में उत्पादित किया जा सकता है। यह तेजी से बढ़ता है, अंडे से निकलने के 3-5 दिनों के बाद वयस्कता तक पहुँच जाता है।
- पारदर्शिता: इसकी पारदर्शिता वैज्ञानिकों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोशिका विकास पर नज़र रखने की अनुमति देती है।
- स्व-निषेचन: यह उभयलिंगी है, अंडे और शुक्राणु दोनों का उत्पादन कर सकता है।

सी. एलिगेंस पर आधारित चार शोध जिनके कारण नोबेल पुरस्कार मिला

- **आनुवंशिक विनियमन और क्रमादेशित कोशिका मृत्यु (2002):**
 - सिडनी ब्रेनर, एच. रॉबर्ट होर्विट्ज़ और जॉन सुल्स्टन ने पता लगाया कि किस प्रकार जीन अंग विकास और क्रमादेशित कोशिका मृत्यु को नियंत्रित करते हैं।
 - उनके कार्य से आनुवंशिक तंत्र का पता चला जो विकास के दौरान कोशिका मृत्यु को नियंत्रित करता है।
- **आरएनए हस्तक्षेप (2006):**
 - एंड्रयू फायर और क्रेग मेलो ने पता लगाया कि किस प्रकार डबल-स्ट्रैंडेड आरएनए, आरएनए हस्तक्षेप के माध्यम से विशिष्ट जीन को शांत कर देता है।
 - यह तंत्र कुछ जीनों को प्रोटीन बनाने से रोकता है।
 - उनके शोध ने कैंसर और आनुवंशिक विकारों जैसे रोगों में जीन अभिव्यक्ति को लक्षित करने वाली चिकित्सा के लिए दरवाजे खोल दिए।

- **ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन (2008):**
 - जीवित जीवों में प्रोटीन का पता लगाने के लिए **ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन (GFP)** विकसित किया।
 - जीएफपी ने वैज्ञानिकों को वास्तविक समय में कोशिकीय प्रक्रियाओं को देखने में सक्षम बनाया।
 - इससे जीवित कोशिकाओं के भीतर आणविक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने में मदद मिली।
- **माइक्रोआरएनए (2024):**
 - **विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन ने माइक्रोआरएनए (miRNAs)** की खोज की जो विशिष्ट जीन को शांत करके जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं।
 - miRNAs विकास और रोग विनियमन सहित विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।
 - उनके शोध ने आनुवंशिक रोगों में नैदानिक उपकरणों और उपचारात्मक दृष्टिकोणों के लिए नई संभावनाएं खोलीं।

माइक्रोआरएनए (MiRNA)

- **माइक्रोआरएनए छोटे, गैर-कोडिंग आरएनए अणु होते हैं जो mRNA प्रतिलेखों को लक्ष्य करके जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं।**
- **कार्य:** वे mRNA के प्रोटीन में रूपांतरण को रोकते हैं, जिससे प्रोटीन उत्पादन नियंत्रित होता है, जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
- **प्रोटीन उत्पादन की प्रक्रिया:**
 - **प्रतिलेखन(Transcription):** नाभिक में DNA का mRNA में प्रतिलेखन होता है।
 - **परिवर्तन(Translation):** mRNA को ट्रांसफर RNA (tRNA) की सहायता से राइबोसोम में प्रोटीन में परिवर्तित किया जाता है।
 - **miRNA द्वारा विनियमन:** प्रतिलेखन के बाद, miRNAs mRNA से बंध जाते हैं, प्रोटीन उत्पादन को बाधित करते हैं और एक अतिरिक्त नियामक परत जोड़ते हैं।

स्रोत: [The Hindu - curiosity-driven research](#)

इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ

संदर्भ

हाल ही में इंडोनेशिया को ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बनाया गया। इसके समावेशन की घोषणा ब्राज़ील (2025 के लिए अध्यक्ष) द्वारा की गई थी।

ब्रिक्स के बारे में -

- यह 2009 में स्थापित एक अंतरसरकारी संगठन है। (पहला BRIC शिखर सम्मेलन- रूस)
- ब्रिक्स (BRICS) एक संक्षिप्त शब्द है जिसका अर्थ है - ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
 - संक्षिप्त नाम "ब्रिक्स" गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा तैयार किया गया था।
- सदस्य: 11
 - मूलतः यह केवल BRIC था अर्थात् ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन।
 - दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस समूह में शामिल हुआ।
 - 2023 में अतिरिक्त सदस्य शामिल हुए: मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब और इथियोपिया।
 - नवीनतम सदस्य: इंडोनेशिया
- ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कोई औपचारिक आवेदन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन नए सदस्यों को मौजूदा सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- ब्रिक्स विश्व की 45% जनसंख्या और विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 37.3% प्रतिनिधित्व करता है।
- ब्रिक्स की महत्वपूर्ण पहल:
 - न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB): इसकी स्थापना फोर्टलेजा (2014) में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।
 - आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA): यह एक वित्तीय सुरक्षा जाल भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न. हाल ही में समाचारों में रहा 'फोर्टलेजा घोषणापत्र' किससे संबंधित है? (2015)

- (a) ASEAN
- (b) BRICS
- (c) OECD
- (d) WTO

उत्तर: (b)

स्रोत: [Indian Express - Indonesia joins BRICS bloc as full member](#)

समलैंगिक विवाह की समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

संदर्भ

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की नई पांच-न्यायाधीशों की पीठ अक्टूबर 2023 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है, जिसमें समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया गया था।

समलैंगिक विवाह के बारे में -

- समलैंगिक विवाह एक ही लिंग के दो व्यक्तियों का विवाह है।
- भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है, तथा मौजूदा विवाह कानून, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम, केवल पुरुष और महिला के बीच विवाह को ही मान्यता देते हैं।
 - हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **विशेष विवाह अधिनियम में लिंग-तटस्थ शब्दों का प्रयोग किया गया है**, क्योंकि इसकी धारा-5 में कहा गया है कि "इस अधिनियम के तहत **किसी भी दो व्यक्तियों के बीच विवाह सम्पन्न हो सकता है**"।
 - इसी प्रकार **हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में "किन्हीं दो हिंदुओं"** के बीच विवाह का उल्लेख है।
- **वर्तमान में विश्व भर में 34 देश समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देते हैं।**
 - वैधीकरण करने वाला नवीनतम देश - **अंडोरा**।

उपचारात्मक याचिका

- **उद्देश्य:** कानून या तथ्य की त्रुटियों जैसे विशिष्ट आधारों पर निर्णय की पुनः जांच करना।
- **उत्पत्ति:** संविधान के **अनुच्छेद 137** के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है।
- **दायर करने की समयसीमा:** निर्णय के **30 दिनों के भीतर** दायर किया जाना चाहिए।
- **कौन दाखिल कर सकता है:** कोई भी पीड़ित पक्ष दाखिल कर सकता है। इसमें समीक्षा के लिए आधार निर्दिष्ट करना होगा।
- **इसका निर्णय आमतौर पर उसी पीठ द्वारा किया जाता है जिसने मौखिक तर्क के बिना मूल निर्णय दिया था।**

याचिकाओं के अन्य प्रकार

- **विशेष अनुमति याचिका (SLP): अनुच्छेद 136** के तहत, यह याचिका किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति लेने की अनुमति देती है।
- **रिट याचिका: अनुच्छेद 32** के तहत दायर, इसमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की मांग की गई है।
- **दया याचिका:** यह याचिका **अनुच्छेद 72 के तहत** दोषियों द्वारा समीक्षा और उपचारात्मक याचिकाओं सहित सभी कानूनी उपायों को समाप्त करने के बाद भारत के राष्ट्रपति से क्षमादान की मांग करते हुए दायर की जाती है।
- **उपचारात्मक याचिका:** अन्य सभी उपचार समाप्त हो जाने के बाद मौलिक अन्याय को संबोधित करने के लिए। यह रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) के मामले में न्यायिक व्याख्या से विकसित हुआ। इसके लिए किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणीकरण और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन का प्रमाण आवश्यक है।

स्रोत: [The Hindu - SC to hear same-sex marriage review pleas](#)

शीर्ष अदालत ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी की आलोचना की

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी के लिए केंद्र और राज्यों की आलोचना की है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के बारे में -

- यह समय पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका गठन 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया गया था।
- संरचना: एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त (IC)।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों पर जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - प्रधानमंत्री (समिति के अध्यक्ष)
 - लोकसभा में विपक्ष के नेता
 - प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री।
- कार्यकाल: 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं।
- योग्यताएं: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।

आयोग के कामकाज में चुनौतियाँ

- स्वतंत्रता का कमजोर होना:
 - इससे पहले आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत, केन्द्रीय सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया था तथा उनके वेतन और भत्ते भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों के समान थे।
 - हालाँकि, आरटीआई संशोधन अधिनियम, 2019 ने इन प्रावधानों को कमजोर कर दिया और उन्हें केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया।
- नियुक्ति में अनियमितताएँ: आयोग अपनी स्वीकृत संख्या से कम पर काम कर रहा है। वर्तमान में आयोग में केवल 2 सूचना आयुक्त हैं।
- लंबित मामलों की संख्या: CIC के समक्ष लगभग 20,000 मामले लंबित हैं।
- नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव: अधिनियम में CIC में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए किसी विशिष्ट योग्यता का प्रावधान नहीं है।

स्रोत: [The Hindu - delay in appointing Information Commissioners](#)

सोनोबॉय(Sonobuoys)

संदर्भ

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी सोनोबॉय के सह-उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण सहयोग की घोषणा की है।

सोनोबॉय के बारे में -

- सोनोबॉय कॉम्पैक्ट, एक्सपेंडेबल एकाॅस्टिक सेंसर हैं जिनका उपयोग एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) और समुद्र के अन्दर जागरूकता (UDA) के लिए किया जाता है।
- वे गहरे समुद्रों और महासागरों में पनडुब्बियों और पानी के नीचे की गतिविधियों का पता लगाने, उन पर नज़र रखने और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- सोनोबॉय की मुख्य विशेषताएं:
 - आकार: आसान तैनाती के लिए छोटा, बेलनाकार और हल्का।
 - तैनाती: विमान, हेलीकॉप्टर या जहाज से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
 - अवयव:
 - हाइड्रोफोन: पानी के नीचे ध्वनि संकेतों को कैप्चर करता है।
 - रेडियो ट्रांसमीटर: सतह पर स्थित जहाजों या वायुयानों को डेटा भेजता है।
 - बैटरी: सीमित परिचालन अवधि के लिए बिजली प्रदान करती है।
- सोनोबॉय के प्रकार
 - पैसिव सोनोबॉय(Passive Sonobuoys): सिग्नल उत्सर्जित किए बिना पानी के नीचे की आवाज़ें सुनता है। पनडुब्बियों से आने वाले शोर (जैसे, इंजन की आवाज़, प्रोपेलर का शोर) का पता लगाता है।
 - एक्टिव सोनोबॉय(Active Sonobuoys): ध्वनि तरंगें (पिंग्स) उत्सर्जित करता है और प्रतिध्वनि सुनता है। यह पनडुब्बियों के सटीक स्थान पर नज़र रखने के लिए उपयोगी है।



स्रोत: [The Hindu - India, U.S. to jointly manufacture interoperable sonobuoys for Navy](#)


जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के जल चक्र को कैसे प्रभावित कर रहा है

संदर्भ

शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा तैयार की गई 2024 ग्लोबल वॉटर मॉनिटर रिपोर्ट, पृथ्वी के जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रभावों पर प्रकाश डालती है।

जल चक्र के बारे में -

- यह पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे अपने विभिन्न रूपों - ठोस, तरल और गैस - में पानी की निरंतर गति है।
- प्रमुख प्रक्रियाएँ:
 - वाष्पीकरण: सूर्य की गर्मी के कारण पानी वाष्प में बदल जाता है।
 - वाष्पोत्सर्जन: पौधे मिट्टी से जलवाष्प छोड़ते हैं।
 - संघनन एवं वर्षा: जलवाष्प बादल बनाती है और वर्षा या बर्फ के रूप में गिरती है।
 - पृथ्वी पर वापसी: पानी महासागरों, झीलों, नदियों, ग्लेशियरों या मिट्टी में प्रवेश करता है, जिससे चक्र पुनः शुरू हो जाता है।
- जल चक्र का महत्व:
 - सभी जीवित जीवों के लिए पानी उपलब्ध कराता है।
 - मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है।



जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- चक्र का प्रवर्धन:
 - बढ़ते तापमान के कारण वाष्पीकरण बढ़ता है, जिससे जल चक्र तीव्र हो जाता है।
 - गर्म हवा तापमान में प्रत्येक 1°C वृद्धि के लिए 7% अधिक नमी रखती है।
- प्रभाव:
 - वर्षा में वृद्धि: अल्प अवधि में भारी वर्षा के परिणामस्वरूप अचानक बाढ़, लम्बे समय तक बाढ़ बनी रहना तथा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना।
 - सूखा और सूखी मिट्टी: उच्च तापमान के कारण मिट्टी से अधिक पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे यह सूखी हो जाती है। जब बारिश होती है, तो यह कठोर मिट्टी में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे अवशोषण के बजाय तेजी से अपवाह होता है।
 - अनियमित पैटर्न: जैसे-जैसे ग्रह गर्म होता है, वैश्विक जल चक्र अप्रत्याशित हो जाता है।

स्रोत: [Indian Express - Earth's water cycle](#)

HAL का स्वदेशी सैन्य हेलीकॉप्टर - बार-बार दुर्घटनाएं

संदर्भ

भारतीय तटरक्षक बल का एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर(ALH) मार्क-III प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी तीन लोगों की मौत हो गई। पिछले 4 महीनों में ALH मार्क-III की यह दूसरी घातक दुर्घटना है।

एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव के बारे में -

- यह सैन्य और नागरिक दोनों ऑपरेटरों के लिए एक बहु-भूमिका और बहु-मिशन हल्का उपयोगिता हेलीकॉप्टर है।
- इसे हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है।
- ALH हेलीकॉप्टरों का संचालन भारतीय तटरक्षक बल के साथ-साथ तीनों भारतीय रक्षा बलों द्वारा किया जाता है।
- यह नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा प्रमाणित है।
- इसे भारतीय सशस्त्र बलों में चेतक और चीता जैसे पुराने हेलीकॉप्टरों की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई गईं

- **जांच और ग्राउंडिंग:** दुर्घटनाओं की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है, जिसमें उड़ान नियंत्रण और ट्रांसमिशन सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुरक्षा ऑडिट के लिए लगभग 300 ALH हेलीकॉप्टरों के पूरे बेड़े को ग्राउंड कर दिया गया है।
- **डिजाइन संबंधी मुद्दे:** पिछली दुर्घटनाओं में बूस्टर कंट्रोल रॉड में कमजोरी जैसी खामियाँ उजागर हुई थीं, जिससे नियंत्रण प्रभावित हुआ था। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं, जिसमें पुराने घटकों को अधिक टिकाऊ सामग्रियों से बदलना शामिल है।
- **स्वतंत्र समीक्षा की मांग:** ALH के सुरक्षा रिकॉर्ड पर चिंता के कारण सैन्य विमानन के दिग्गजों ने स्वतंत्र जांच की मांग की है।

स्रोत: [Indian Express - HAL's ALH](#)

नवजात शिशुओं में लिंग-विशिष्ट मस्तिष्क अंतर

संदर्भ

बायोलॉजी ऑफ़ सेक्स डिफरेंसेस जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में नवजात शिशु लड़के और लड़की के मस्तिष्क में अंतर की जांच की गई है।

मस्तिष्क के आकार और संरचना में अंतर

- **लड़के:**
 - **बड़ा मस्तिष्क आयतन:** औसतन, जन्म के समय वजन को नियंत्रित करने के बाद भी, पुरुष शिशुओं के अंतःकपालीय और कुल मस्तिष्क आयतन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
 - **अधिक वाइट मैटर:** लड़कों में अधिक वाइट मैटर था।
- **लड़कियाँ:**
 - **अधिक ग्रे मैटर:** बालिकाओं में सीखने, बोलने और संज्ञान से जुड़े क्षेत्रों जैसे स्मृति और भावनात्मक विनियमन में ग्रे मैटर की मात्रा अधिक पाई गई।
 - **क्षेत्रीय अंतर:** ग्रे मैटर विशेष रूप से स्मृति और भावना विनियमन से संबंधित क्षेत्रों में बड़ा था।
- **वाइट और ग्रे मैटर का महत्व:**
 - **वाइट मैटर** में लंबे तंत्रिका तंतु होते हैं जो मस्तिष्क के भीतर संचार को सुगम बनाते हैं।
 - **ग्रे मैटर** संज्ञान, स्मृति और सीखने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **कार्यात्मक निहितार्थ:**
 - **लड़कों का मस्तिष्क:** संवेदी प्रसंस्करण और मोटर नियंत्रण से जुड़े क्षेत्रों में वाइट मैटर की बड़ी मात्रा, जो जन्म के समय इन क्षेत्रों में अधिक विकसित क्षमताओं को दर्शाती है।
 - **लड़कियों का मस्तिष्क:** सीखने, बोलने और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रे मैटर की बड़ी मात्रा, स्मृति और भावनाओं से संबंधित प्रारंभिक विकास में संभावित लाभ का सुझाव देती है।
- इस अध्ययन ने यह साबित कर दिया है कि लिंग-विशिष्ट मस्तिष्क अंतर जीवन के शुरुआती दिनों में ही मौजूद होते हैं, अर्थात ये बाह्य पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में आने से पहले ही मस्तिष्क के विकास में अंतर्निहित होते हैं।

स्रोत: [Indian Express - girl infants have more grey matter](#)

समाचार में स्थान

कांडला/ दीनदयाल बंदरगाह

- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने कांडला बंदरगाह पर 2 प्रमुख निवेशों की घोषणा की है:
 - ₹30,000 करोड़ के निवेश पर एक मेगा जहाज निर्माण और मरम्मत परियोजना।
 - ₹27,000 करोड़ में कांडला क्रीक के बाहर एक नया कार्गो टर्मिनल, जो बंदरगाह की क्षमता में 135 एमटीपीए जोड़ देगा।



- **अवस्थिति:** गुजरात के कच्छ जिले में कांडला क्रीक।
- यह भारत के सबसे बड़े सभी मौसम वाले बंदरगाहों में से एक है और पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- **भारत में प्रमुख बंदरगाह (12):** चेन्नई, कोचीन, दीनदयाल (कांडला), जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा), कोलकाता, मोरमुगाओ, मुंबई, न्यू मैंगलोर, पारादीप, वीओ चिदंबरनार (तूतीकोरिन), विशाखापत्तनम और कामराजार पोर्ट लिमिटेड।
 - **13वां-वधावन बंदरगाह (निर्माणाधीन)।**

स्रोत:

- [The Hindu - Kandla port to get ship building facility](#)

समाचार संक्षेप में

भारतपोल पोर्टल

- भारतपोल का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध सहायता और वास्तविक समय पर कार्रवाई के लिए प्रसारण केंद्र से है।
- इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा विकसित किया गया है।
- इससे केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को इंटरपोल से आसानी से जुड़ने और अपनी जांच में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

इंटरपोल - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन।

- इंटरपोल 196 सदस्य देशों से बना एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। यह यूएन के तहत काम नहीं करता। (स्थापना - 1923, मुख्यालय - ल्योन, फ्रांस)।
- यह एक सूचना-साझाकरण नेटवर्क है, जो राष्ट्रीय पुलिस बलों को प्रभावी ढंग से सहयोग करने तथा मानव तस्करी और आतंकवाद से लेकर धन शोधन आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने का मार्ग प्रदान करता है।

स्रोत: [The Hindu - Bharatpol to aid in nabbing fugitive criminals](#)

नए डेटा नियमों के तहत नाबालिगों की आयु सत्यापित करने के लिए आईडी टोकनाइजेशन

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों के तहत एक नई बाल सत्यापन प्रणाली की घोषणा की है।
- इस प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नाबालिग माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग न कर सकें या आयु-प्रतिबंधित ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच न सकें।
- पहचान दस्तावेजों का टोकनीकरण: टोकनीकरण, पूर्ण पहचान जानकारी को उजागर किए बिना डेटा का डिजिटल प्रतिनिधित्व बनाता है।
 - लाभ:
 - प्लेटफॉर्म पूर्ण पहचान दस्तावेजों को संग्रहीत या एक्सेस किए बिना उपयोगकर्ताओं को सत्यापित कर सकते हैं।
 - उपयोग के बाद टोकन को हटाया जा सकता है।

स्रोत: [The Hindu - ID tokenisation](#)

संपादकीय सारांश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नवीनतम दिशानिर्देश

संदर्भ

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने स्नातक विद्यार्थियों के लिए त्वरित डिग्री कार्यक्रम और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है।
- इससे उन्हें अपनी डिग्री मानक अवधि से पहले या बाद में पूरी करने का अवसर मिलेगा।

त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रमों के लाभ

- सीखने में लचीलापन:** छात्रों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप अपने शैक्षणिक पथ को ढालने की स्वायत्तता प्रदान करता है।
 - त्वरित कार्यक्रम कार्यबल में शीघ्र प्रवेश या आगे की पढ़ाई की अनुमति देते हैं।
- अंतःविषयक शिक्षण:** विस्तारित कार्यक्रम छात्रों को विविध विषयों का पता लगाने, इंटरैक्शन करने या अनुसंधान में संलग्न होने का समय प्रदान करते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के बहु-विषयक शिक्षा पर जोर के साथ संरेखित करते हैं।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** भारतीय उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना, छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना और भारतीय डिग्रियों को विश्व स्तर पर अधिक मान्यता दिलाना।
- लागत और समय दक्षता:** त्वरित कार्यक्रम ट्यूशन फीस और रहने के खर्च में कटौती करके शिक्षा की लागत को कम करते हैं, जिससे आर्थिक रूप से सीमित छात्रों को लाभ मिलता है।
- कौशल विकास:** विस्तारित कार्यक्रमों के दौरान इंटरैक्शन और परियोजना कार्य के माध्यम से सॉफ्ट स्किल्स, रचनात्मक सोच और व्यावहारिक विशेषज्ञता के अधिग्रहण को प्रोत्साहित करता है।
- बेहतर रोजगार क्षमता:** अध्ययन के दौरान वास्तविक दुनिया का अनुभव प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे संभावित रूप से बेहतर कैरियर परिणाम प्राप्त होते हैं।

त्वरित एवं विस्तारित डिग्री कार्यक्रमों की चुनौतियाँ

- पाठ्यक्रम की गहराई और कठोरता:** त्वरित प्रारूप में पाठ्यक्रम को संकुचित करने से शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है, विशेष रूप से इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों में।
- शैक्षणिक तात्कालिकता का अभाव:** विस्तारित कार्यक्रम छात्रों को उचित समय सीमा में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं, जिससे डिग्री का मूल्य कम हो सकता है।
- वित्तीय बोझ:** लंबी अवधि के कार्यक्रमों से लागत बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्र हतोत्साहित हो सकते हैं।
- संस्थागत तत्परता:** विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन, क्रेडिट प्रणालियों के कार्यान्वयन और ऐसे सुधारों की प्रशासनिक जटिलता के अनुकूल होने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- डिजिटल विभाजन:** शिक्षा में डिजिटलीकरण की ओर बदलाव से प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच वाले वंचित पृष्ठभूमि के छात्र हाशिए पर आ सकते हैं।
- संकाय प्रशिक्षण:** शिक्षकों को लचीले, अंतःविषयक शैक्षणिक मॉडलों के अनुकूल होने के लिए व्यावसायिक विकास की आवश्यकता होगी।
- समानता संबंधी चिंताएं:** ग्रामीण और हाशिए पर स्थित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को पर्याप्त समर्थन के बिना लचीली संरचना में आगे बढ़ने में कठिनाई हो सकती है, जिससे स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि का जोखिम हो सकता है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- **रणनीतिक योजना:** त्वरित कार्यक्रमों में शैक्षिक गहराई सुनिश्चित करने और विस्तारित कार्यक्रमों में समय का सार्थक उपयोग करने के लिए मजबूत पाठ्यक्रम डिजाइन महत्वपूर्ण होगा।
- **बुनियादी ढांचे में निवेश:** सुचारु परिवर्तन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक प्रणालियों और संकाय भर्ती के लिए पर्याप्त वित्तपोषण आवश्यक होगा।
- **शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण:** लचीले और अंतःविषयक मॉडलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण।
- **हाशिए पर पड़े छात्रों का समावेशन:** समानता की खाई को पाटने के लिए छात्रवृत्ति, मार्गदर्शन और डिजिटल संसाधनों का प्रावधान।
- **उन्नत उद्योग सहयोग:** छात्रों के लिए प्रासंगिक इंटरशिप, अनुसंधान के अवसर और कौशल विकास पहल बनाने के लिए उद्योगों के साथ संबंधों को मजबूत करना।
- **वैश्विक एकीकरण:** भारतीय शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने पर जोर देने से भारतीय डिग्रियों की बेहतर मान्यता सुनिश्चित होगी और वैश्विक गतिशीलता बढ़ेगी।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** सीखने के परिणामों, रोजगारपरकता और छात्र संतुष्टि पर इन कार्यक्रमों के प्रभाव को ट्रैक करने के लिए तंत्र स्थापित करना।

निष्कर्ष

रणनीतिक कार्यान्वयन और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, ये पहल भारतीय उच्च शिक्षा को रूपांतरित कर सकती हैं, इसे अधिक छात्र-केंद्रित, गतिशील और वैश्विक रूप से संरक्षित बना सकती हैं, जो अंततः 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की आकांक्षा में योगदान देगी।

स्रोत: [The Hindu: More flexibility, but also greater challenges](#)



अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हालिया यात्रा

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन हाल ही में भारत आए।

जेक सुलिवन की हालिया भारत यात्रा के मुख्य बिंदु

- **रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना:** भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए बिडेन प्रशासन की व्यापक प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह अप्रत्याशित संकटों के खिलाफ लचीला बना रहे।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग को गहन करना: महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (iCET)** के तहत एआई, अर्धचालक, अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो सरकारों, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करते हुए तकनीकी-औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **वैश्विक अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन:** सहयोगियों के साथ प्रौद्योगिकी साझेदारी का निर्माण करके चीन पर वैश्विक निर्भरता को कम करने पर जोर दिया गया, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय संतुलन में योगदान मिलेगा।
- **अंतरिक्ष सहयोग पर प्रतिबंध हटाना:** असैन्य अंतरिक्ष सहयोग पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की गई तथा असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग को सक्षम बनाने के लिए प्रमुख भारतीय परमाणु ऊर्जा केंद्रों को अमेरिकी काली सूची से हटाने के प्रयास जारी रखे गए।
- **परमाणु ऊर्जा पर ध्यान:** एआई को शक्ति प्रदान करने वाले डेटा केंद्रों की स्वच्छ ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की क्षमता पर प्रकाश डाला गया, तथा अंतरराष्ट्रीय निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में नियामक सुधारों का आग्रह किया गया।

भारत की परमाणु यात्रा: प्रगति

- **प्रारंभिक सहयोग और चुनौतियाँ:**
 - **प्रारंभिक सहयोग:** स्वतंत्रता के बाद, अमेरिका ने भारत के परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों का समर्थन किया।
 - प्रमुख योगदानों में कृषि का आधुनिकीकरण (हरित क्रांति) और वैज्ञानिक शिक्षा को मजबूत करना शामिल था।
 - **अप्रसार चुनौतियाँ (1970-1990 के दशक):** अमेरिका ने कठोर अप्रसार कानून लागू किये तथा भारत पर परमाणु हथियार न रखने के लिए प्रतिबंध लगाये।
 - इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय परमाणु सहयोग ध्वस्त हो गया।
- **सफलता और उसके बाद की प्रगति:**
 - **भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (2005-08):** जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मनमोहन सिंह द्वारा वार्ता करके, इसने प्रमुख परमाणु विवादों को सुलझाया।
 - द्विपक्षीय संबंधों में एक आदर्श बदलाव आया, जिससे शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग संभव हुआ।
 - **उत्तरवर्ती प्रशासन:** राष्ट्रपति ओबामा, ट्रम्प और बिडेन ने परमाणु समझौते को आगे बढ़ाया, तथा उन्नत प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया।

पूर्ण क्षमता को साकार करने में बाधाएं

- **भारत में विनियामक बाधाएं:** परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (2010) ने अपने कठोर दायित्व प्रावधानों के कारण विदेशी कंपनियों को हतोत्साहित किया।

- समझौते के दो दशक बाद भी, रूस को छोड़कर भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं किया गया।
- **भारतीय परमाणु केन्द्रों को काली सूची में डालना:** प्रमुख भारतीय केन्द्रों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग पर लगातार अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** उच्च लागत और निवेश की कमी ने भारत की परमाणु ऊर्जा का पूर्ण उपयोग करने की क्षमता को सीमित कर दिया है।

आगे की राह

- **विनियामक सुधार:** अमेरिका और अन्य वैश्विक खिलाड़ियों से निवेश आकर्षित करने के लिए देयता कानूनों को संशोधित करना।
- **बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना:** आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण और परमाणु प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में निवेश करना।
- **एआई की ऊर्जा मांगों का लाभ उठाना:** एआई-संचालित डेटा केंद्रों के लिए स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं से प्रेरित परमाणु ऊर्जा के पुनरुत्थान का लाभ उठाना।
- **अमेरिका-भारत सहयोग को मजबूत करना:** असैन्य परमाणु सहयोग को गहरा करने और लंबित प्रतिबंधों को हल करने के लिए निरंतर राजनयिक जुड़ाव सुनिश्चित करना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** सरकार और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना ताकि मापनीय, आर्थिक रूप से व्यवहार्य परमाणु समाधान विकसित किए जा सकें।
- **स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता:** जलवायु लक्ष्यों और ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा विकास को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन के साथ संरेखित करना।

स्रोत: [Indian Express: Atomic Power Equation](#)



विस्तृत कवरेज

भारत में जिला पत्रकार का संकटग्रस्त जीवन

संदर्भ

छत्तीसगढ़ में एक स्वतंत्र युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या ने एक बार फिर जिला और मुफस्सिल स्तर पर जीवन के लिए खतरे और पत्रकारिता की अनिश्चित प्रकृति को उजागर किया है।

पत्रकारों का महत्व

- **आवाज़हीनों के लिए आवाज़:** पत्रकार हाशिए पर पड़े और स्थानीय समुदायों की "अनदेखी और अनसुनी" कहानियों को प्रकाश में लाते हैं।
 - वे वंचना, पीड़ा और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं तथा वंचितों के संघर्षों को एक मंच प्रदान करते हैं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** खोजी पत्रकारिता विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और कदाचार को उजागर करके जांच और संतुलन सुनिश्चित करती है।
 - लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है तथा शक्तिशाली संस्थाओं को जवाबदेह ठहराता है।
- **स्थानीय प्रासंगिकता और सामुदायिक प्रभाव:** जमीनी स्तर के पत्रकार स्थानीय मुद्दों, नागरिक समस्याओं और विकासात्मक चुनौतियों पर रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें अक्सर मुख्यधारा के मीडिया द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है।
 - वे नीति निर्माताओं और जमीनी स्तर के लोगों के बीच की खाई को पाटते हैं।
- **क्षेत्रीय भाषा पत्रकारिता को सक्षम बनाना:** स्ट्रिंगर्स और रिटेनर्स क्षेत्रीय और स्थानीय मीडिया आउटलेट्स के लिए सामग्री उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे समाचार कवरेज में विविधता सुनिश्चित होती है।
- **स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से सशक्तिकरण:** सोशल मीडिया, यूट्यूब और डिजिटल समाचार साइटों जैसे स्वतंत्र प्लेटफॉर्म खोजी कहानियों को बढ़ावा देते हैं और व्यापक दर्शकों तक पहुंचते हैं।
 - ये प्लेटफॉर्म विज्ञापनदाताओं और राज्य गठबंधनों से प्रभावित मुख्यधारा के मीडिया की सीमाओं को दरकिनार करने में मदद करते हैं।
- **लोकतंत्र को मजबूत बनाना:** सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करके और जागरूक नागरिकों को बढ़ावा देकर, पत्रकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाते हैं।

भारत में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संस्थाएँ संवैधानिक और कानूनी ढांचा

• संविधान

- **अनुच्छेद 19(1)(a):** भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता का आधार बनता है।
- **अनुच्छेद 19(2):** संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता जैसे मुद्दों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
- **न्यायपालिका:** न्यायालय कानूनों की व्याख्या करने और मनमाने प्रतिबंधों के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994) जैसे ऐतिहासिक मामले बिना किसी पूर्व प्रतिबंध के प्रकाशन के अधिकार की पुष्टि करते हैं।
- **संसद और राज्य विधानमंडल:** प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कोई भी प्रतिबंध उचित और न्यायोचित हो।

सरकारी और नियामक निकाय

- **भारतीय प्रेस परिषद (PCI):** प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।
 - प्रेस नैतिकता को बढ़ावा देना, अनुचित हस्तक्षेप को रोकना, तथा प्रेस स्वतंत्रता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना।
 - यह केवल प्रिंट मीडिया तक सीमित है तथा इसकी सिफारिशें परामर्शात्मक हैं, लागू करने योग्य नहीं हैं।
- **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी मंत्रालय):** टेलीविजन और रेडियो सहित प्रसारण मीडिया को विनियमित करता है।
 - सामग्री मानकों का पालन सुनिश्चित करना और चैनलों के लिए लाइसेंसिंग की देखरेख करना।
- **साइबर अपराध प्रकोष्ठ:** पत्रकारों को ऑनलाइन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से बचाते हैं, जो डिजिटल पत्रकारिता में आम खतरे बन गए हैं।

कानून प्रवर्तन और निगरानी निकाय

- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):** उन मामलों को देखता है जहां पत्रकारों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तथा राज्य की ज्यादतियों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRCs):** पत्रकारों के विरुद्ध स्थानीय उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए राज्य स्तर पर कार्य करता है।
- **कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ:** पुलिस और जांच एजेंसियों को पत्रकारों की सुरक्षा और उनके विरुद्ध अपराधों की जांच करने का काम सौंपा गया है, जिसमें धमकियां और हमले भी शामिल हैं।

नागरिक समाज

- **मीडिया एसोसिएशन: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इंडियन विमेंस प्रेस कॉर्प्स** जैसे संगठन तथा अन्य संगठन प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं तथा पत्रकारों पर खतरों के बारे में चिंता जताते हैं।
- **नागरिक समाज समूह: पत्रकारों की सुरक्षा के लिए समिति (सीपीजे) और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स** जैसे समूह प्रेस स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी करते हैं और उत्पीड़न के मामलों को वैश्विक स्तर पर उजागर करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाएँ


- **यूनेस्को:** वैश्विक अभियानों और दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।
 - जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 3 मई को **विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस** मनाया जाता है।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC):** विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर नज़र रखती है और सरकारों पर पत्रकारिता के अधिकारों को बनाए रखने के लिए दबाव डालती है।
- **वैश्विक सूचकांक निगरानी: रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स** विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करता है,

जिसमें भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जाता है।

पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां या खतरे

- **शारीरिक धमकियाँ और हिंसा:** पत्रकारों को धमकियों, हमलों और यहां तक कि हत्या का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि मुकेश चंद्राकर और उमेश डोभाल के मामलों में देखा गया है।
 - उन्हें राजनेताओं, ठेकेदारों और अपराधियों के गठजोड़ को उजागर करने के लिए निशाना बनाया जाता है।

Number of journalists attacked in India between 1992 and 2022



- **कमजोर कानूनी सुरक्षा:** छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों के बावजूद, इनका प्रवर्तन खराब है, जिससे पत्रकारों की स्थिति असुरक्षित बनी हुई है।
 - पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा को रोकने में कानूनी तंत्र प्रायः असफल रहते हैं।
- **अनिश्चित कार्य स्थितियां:** कई पत्रकार बिना नौकरी की सुरक्षा के काम करते हैं, उन्हें अल्प वेतन मिलता है, तथा उन्हें प्रतिकूल कार्य वातावरण का सामना करना पड़ता है।
 - संस्थागत समर्थन का अभाव उन्हें धमकी का आसान लक्ष्य बनाता है।
- **राजनीतिक और आर्थिक दबाव:** मीडिया घरानों को विज्ञापनदाताओं, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों से दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए जगह कम हो जाती है।
 - इन प्रभावों के कारण पत्रकारों को अक्सर आत्म-सेंसरशिप के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **ऑनलाइन उत्पीड़न और निगरानी:** डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को ट्रोलिंग, दुर्व्यवहार और कभी-कभी डिजिटल निगरानी का सामना करना पड़ता है।
 - इससे उनका शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ जाता है।
- **हमलावरों के लिए दंड से मुक्ति:** पत्रकारों पर हमला करने वालों को प्रायः दंडित नहीं किया जाता, जिससे भय की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और खोजी रिपोर्टिंग हतोत्साहित होती है।
- **मान्यता और समर्थन का अभाव:** जमीनी स्तर के पत्रकारों को उनके योगदान के लिए शायद ही कभी श्रेय मिलता है, जिससे वे अलग-थलग और कमतर महसूस करते हैं।
- **प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट:** राज्य के बढ़ते नियंत्रण और मीडिया का निहित स्वार्थों के साथ जुड़ाव पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।

- उदाहरण के लिए, 2024 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है।

आगे की राह

- मौजूदा कानूनी सुरक्षा के प्रवर्तन को मजबूत करना।
- जमीनी स्तर के पत्रकारों के लिए कार्य स्थितियों में सुधार लाना तथा संस्थागत सहायता प्रदान करना।
- वित्त पोषण, प्रशिक्षण और मान्यता के माध्यम से स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करें।
- भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार के खतरों से निपटने के लिए मजबूत तंत्र का निर्माण करना, प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

स्रोत: [The Hindu: The imperilled life of the district journalist in India](#)

[Indian Express: Death of a Journalist](#)

